न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 81/2019 **दायर दिनांकः 12/06/2019**

उनवान

1. रामगोपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण जाति माली निवासी चारणखेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 23/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल चारणखेडी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 106 का ख0नं0 73 रकबा 1.00 है0 तथा ख0न0 151 का रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1.25 है0 आराजी व माल चारणखेडी के खाता संख्या 107 का ख0नं0 111 का रकबा 0.62 है0 आराजी तथा माल चारणखेडी के खाता संख्या 108 ख0नं0 519/78 रकबा 0.30 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 106 व 107 में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र श्रीकिशन एवं खाता संख्या 108 में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र श्रीकृष्ण दर्ज है। व वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान के सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र श्रीकृष्ण दर्ज है। जिसकी छाया प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का बोलता नाम रामगोपाल दर्ज करवा दिया गया था जबकि वादी का वास्तविक नाम गोपाललाल पुत्र श्री कृष्ण वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेज में है जो वादी का सही नाम है। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी खाता संख्या 106 व 107 में वादी का गलत नाम रामगोपाल पुत्र किशन व खाता संख्या 108 में रामगोपाल पुत्र श्रीकृष्ण दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रही है

तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी एवं उसके पिता का नाम रामगोपाल पुत्र श्रीकिशन व रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण के स्थान पर गोपाललाल पुत्र श्री कृष्ण दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादी प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में रामगोपाल पुत्र श्रीकिशन व रामगोपाल पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर सही नाम गोपाललाल पुत्र श्री कृष्ण दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.05.2019 को नकल प्राप्त करने व अन्तिम बार दिनांक 30.05.2019 को केसीसी ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर गलत नाम के कारण आवेदन खारिज होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारक होने व वाद नाम शुद्धि का होने से राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल चारणखेडी तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 106 व 107 में वादी का नाम राम गोपाल पुत्र श्री किशन एवं खाता संख्या 108 में रामगोपाल पुत्र श्रीकिशन एवं खाता संख्या 108 में रामगोपाल पुत्र श्रीकृष्ण के स्थान पर वादी का सही नाम गोपाल लाल पुत्र श्रीकृष्ण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को दिये जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम चारणखेडी की खाता संख्या 106 किता 2 रकबा 1.25 है0 व खाता संख्या 107 किता 1 रकबा 0.62 है0 व खाता संख्या 108 किता 1 रकबा 0.30 है0 भूमि मे वादी का नाम खाता सं0 106 व 107 में रामगोपाल पुत्र श्री किशन तथा खाता संख्या 108 में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण दर्ज है। जबकि प्रस्तुत रिकार्ड में वादी का सही नाम गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण दर्ज है। वादी का नाम खाता संख्या 106 व 107 में रामगोपाल पुत्र श्री किशन एवं खाता संख्या 108 में रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर कार्ड परिवार राशन कार्ड 00097 व सेवानिवृति आदेश सूची में वादी का नाम गोपाल लाल व उक्त दस्तावेजो मे गोपाल लाल पुत्र कृष्ण दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वादी व वादी के पिता के दो नाम है। गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का वाद वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::कियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम चारणखेडी की खाता संख्या 107 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.62 है0 में खातेदार रामगोपाल पुत्र श्री किशन के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण व खाता संख्या 108 किता 1 रकबा 0.30 है0 में खातेदार रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण व खाता संख्या 106 किता 2 रकबा 1.25 है0 में खातेदार रामगोपाल पुत्र श्री किशन के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 81/2019

उनवान

1. रामगोपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र श्रीकिशन उर्फ श्री कृष्ण जाति माली निवासी चारणखेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम चारणखेडी की खाता संख्या 107 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.62 है0 में खातेदार रामगोपाल पुत्र श्री किशन के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण व खाता संख्या 108 किता 1 रकबा 0.30 है0 में खातेदार रामगोपाल पुत्र श्री कृष्ण के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण व खाता संख्या 106 किता 2 रकबा 1.25 है0 में खातेदार रामगोपाल पुत्र श्री किशन के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र श्री कृष्ण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..........................

.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:23:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: